BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO-712/2023
(IA Nos. 202/2024, 838/2023, 839/2023)

IN THE MATTER OF:

FARMAN QURESHI ...APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY BY DISTRICT MAGISTRATE, SHAMLI IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 06.10.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	

2.	A COPY OF LETTER DATED 26.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 29.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	COPIES OF LETTER DATED 12.11.2024 AND SITE INSPECTION REPORT DATED 18.11.2024 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 21.01.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF LETTER DATED 10.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF INSPECTION REPORT DATED 25.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	COPIES OF LETTER DATED 12.03.2025 AND RECEIPT DATED 23.06.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF LETTER DATED 03.10.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	

10.	A COPY OF JOINT COMMITTEE REPORT DATED 29.10.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-9	
11.	A COPY OF LETTER/NOTICE DATED 07.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-10	
12.	A COPY OF LETTER DATED 17.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-11	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 01.01.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO-712/2023

(IA Nos. 202/2024, 838/2023, 839/2023)

IN THE MATTER OF:

FARMAN QURESHI **...APPLICANT**

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. **...RESPONDENT(S)**

REPLY BY DISTRICT MAGISTRATE, SHAMLI IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 06.10.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Arvind Kumar Chauhan aged about 43 years, S/o Shri Laxmi Narayan, presently posted as District Magistrate, Shamli, Uttar Pradesh do here by solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 31/10/25 GOVT. OF INDIA

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present matter, the Applicant has raised grievances against Respondent No. 10, ***M/s Meem Agro Foods Pvt. Limited*** ('**Project Proponent**'), with regard to the operation of its slaughterhouse, alleging non-compliance with the prescribed environmental norms.

4. That, in compliance with the order dated 05.12.2023 passed by the Hon'ble Tribunal, a joint inspection of the Project Proponent's unit was conducted by the Committee constituted by the Hon'ble Tribunal on 27.01.2024, the report thereof was placed on record by the deponent vide Affidavit dated 14.02.2024 (***kindly refer to judicial pages 136–588***).

II. REPLY IS AS FOLLOWS

i. <u>Inspections Carried Out From 18.05.2024 Till 15.02.2025</u>

5. That, for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, deponent vide letter no. 5718/S.T. dated 26.12.2025 directed the Regional Officer, UPPCB to provide details regarding the action taken against the Project Proponent in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

   A copy of letter dated 26.12.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-1*.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 31/1/... GOVT.OF INDIA

6. That, the Regional Officer, UPPCB, vide letter no. 1123/OA/712/Shamli/2025 dated 29.12.2025, informed the deponent about the inspections carried out and the actions taken against the Project Proponent, as detailed in the paragraphs hereinbelow.

   A copy of letter dated 29.12.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

7. That, inspections of the Project Proponent's unit were carried out by UPPCB on 18.05.2024 and 25.06.2024, during which it was observed that the discharge of treated effluent from the unit was not within the prescribed norms, and proper water sprinkling on the biofilter was not being carried out. It was further noted that the unit could not furnish any proof to show that the treated effluent was being utilized for irrigation on its own land (***kindly refer to UPPCB Affidavit dated 12.03.2025, judicial pages 1332-1342***).

8. That, on the basis of the non-compliances observed during the inspections dated 18.05.2024 and 25.06.2024, UPPCB, vide letter No. H16194/C-3/Jal-589/2024 dated 27.08.2024 has issued a show-cause notice to the Project Proponent (***kindly refer to UPPCB Affidavit dated 12.03.2025, judicial pages 1343-1344***).

9. That, on receipt of a fresh complaint, the Additional Commissioner (Judicial), Saharanpur Division vide letter no. 3422/S.T./2024 dated 12.11.2024 constituted a six-member joint committee, which carried out the

NOTARY
FARZANA
Shamli Tehsil
R.No-13333/17
GOVT. OF INDIA

site inspection of Project Proponent unit on 18.11.2024, wherein non-compliances had been observed.

Copies of letter dated 12.11.2024 and site inspection report dated 18.11.2024 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-3***.

10. That, thereafter the SDM, Kairana, vide letter No. 1626/S.T. dated 21.01.2025, directed the Regional Officer, UPPCB, Shamli to take appropriate action against the Project Proponent and ensure compliance with the recommendations contained in the inspection report referred in the para hereinabove.

Copy of letter dated 21.01.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-4***.

11. That, on 20.01.2025, the District Level Committee constituted for inspections of industrial units during the Mahakumbh festival inspected the unit wherein it had been observed that no industrial effluent was being discharged into any river or drain, and the same was being utilized for irrigation on the Project Proponent's own land (***kindly refer to UPPCB Affidavit dated 30.06.2025, judicial page 1387***).

12. That, upon receipt of another fresh complaint, the deponent, vide letter No. 127/Legal-Assistant dated 10.02.2025, constituted a Joint Committee comprising the SDM, Kairana; RO, UPPCB; Chief Veterinary Officer, Shamli and the District Designated Officer, Food Safety and Drug Administration, Shamli.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT. OF INDIA 31/1/...

A copy of letter dated 10.02.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

13. The above-mentioned joint committee inspected the unit on 15.02.2025 and submitted its inspection report dated 25.02.2025, wherein effluent samples were collected from the ETP, and tested at UPPCB laboratory, which were found to be within the prescribed norms. It was further observed that the treated effluents are being used by the Project Proponent for irrigation into their own land.

A copy of inspection report dated 25.02.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-6***.

ii. <u>Environment Compensation of Rs. 19,50,000 Imposed by UPPCB</u>

14. That, based on the periodic inspections mentioned above, UPPCB has assessed and imposed an EC amounting to Rs. 19,50,000 on the Project Proponent Unit vide letter no. H25675/C-3/Jal-589 dated 12.03.2025 for a total violation period of 65 days. Thereafter, out of the said EC amount, the Project Proponent has deposited a sum of Rs. 5,00,000 on 23.06.2025.

Copies of letter dated 12.03.2025 and receipt dated 23.06.2025 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-7***.

15. Further, UPPCB has addressed letter no. H29641/C-3/584/2025 dated 27.06.2025 to the deponent for recovery of the remaining EC amount of Rs. 14,50,000 from the Project Proponent unit (***kindly refer to UPPCB Affidavit dated 30.06.2025, judicial page 1394***).

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No:-13333/17 GOVT.OF INDIA

iii. Further Inspection Carried Out on 08.10.2025

16. That, based on another fresh complaint, SDM Kairana vide letter no. 113/S.T. dated 03.10.2025 constituted a joint committee comprising of Tehsildar, Kairana; Chief Veterinary Doctor, Shamli; Chief Food Safety Officer, Shamli and the Regional Officer, UPPCB, Shamli/Muzzafarnagar, which carried out site inspection of the unit on 08.10.2025.

A copy of letter dated 03.10.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-8***.

17. That, the SDM, Kairana vide letter no. 123/S.T. dated 29.10.2025 had submitted the joint committee report to the deponent wherein inter alia, the following non-compliances were found-

S. No.	Department	Point No.	Non- Compliance Found
1.	Chief Veterinary Officer, Shamli	3	Lairage tin-shed was found damaged
		4	Proper cleanliness in the unit was not found
		5	Sign boards were not found on the rendering plant, ETP plant and lairage area
2.	UPPCB, Shamli/Muzaffarnagar	10	Tin-shed of rendering plant was found damaged and proper house-keeping was not found in the slaughtering area

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R. No.-13333/17 31/11/25 GOVT. OF INDIA

A copy of Joint Committee report dated 29.10.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-9***.

18. That, SDM, Kairana vide letter no. 2430/S.T. dated 07.11.2025 issued a notice to the Project Proponent regarding the non-compliances found during

the joint committee visit mentioned in the para above along with directions to take immediate remedial action, pending which punitive action would be taken.

A copy of letter/notice dated 07.11.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-10***.

19. That, vide letter dated 17.11.2025, the Project Proponent informed the SDM, Kairana, that the non-compliances noted by the Chief Veterinary Officer and UPPCB had been rectified, and necessary instructions have been issued to ensure continued compliance in the future.

A copy of letter dated 17.11.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-11***.

20. That, the deponent, in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, has ensured periodic inspections of the Project Proponent unit, and the same shall continue to be undertaken to ensure adherence to the prescribed norms.

21. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

22. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No. 13333/17 GOVT. OF INDIA 31/11/

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 31th day of December 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 22 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 31/12/25 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

RIT/LTI SIGNATURE OF DEPONENT

ATTESTED 31/12/2025
FARZANA NOTARY
R.No:-13333/17.SHAMLI.

मैं घोषणा करता हूं कि, शपथ कर्ता को
जानता हूं उसने इस शपथ पत्र पर
आज मेरे सामने अपने
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया है।

ANNEXURE-1

कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

पत्रांक : 5718 / एस०टी०   दिनांकः 26-12-2025

महत्वपूर्ण / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर।

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या—712/2023 फरमान कुरैशी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेन्ट फॉरेस्ट एण्ड कलाइमेट चैन्ज एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 712/2023 फरमान कुरैशी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेन्ट फॉरेस्ट एण्ड कलाइमेट चैन्ज एण्ड अदर्स में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 06.10.2025 को आदेश पारित किये गये है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है—

".... 1. Learned Counsel for the applicant has stated that response to the affidavit of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) dated 30.06.2025 has been filed by the applicant on 05.10.2025.

2. Registry is directed to verify the factual position and place the same on record.

3. Learned Counsel for respondents no. 2 and 6 to 9 seeks one months' time for filing of their responses which prayer is allowed.

4. List on 05.01.2026 for further hearing."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला—शामली के विरूद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही की सूचना अद्योहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

26/12/2025

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली।

ANNEXURE-2

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 1123/ओ०ए०नं० 712/फरमान कुरैशी/शामली/2025 दिनांक Dated 29.12.2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

शामली।

विषयः–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–712/2023 फरमान कुरैशी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेन्ट फॉरेस्ट एण्ड कलाइमेट चैन्ज एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–5718/एस0टी0 दिनांक 26.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–712/2023 फरमान कुरैशी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एण्ड अन्य के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वाद मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला–शामली के संचालन के विरूद्ध है। उक्त वाद में की गयी कार्यवाही निम्नवत् है–

1. उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 के नाम से कस्बा कैराना, जिला शामली में स्थापित एवं संचालित है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में भैंस/भैंसा प्रजाति के पशुओं (क्षमता 600 नग प्रतिदिन) की आधुनिक रूप से स्लाटरिंग कर फ्रोजन मीट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सशर्त जल एवं वायु सहमति दिनांक 31.12.2028 तक विधिमान्य है।
2. उद्योग का औचक निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.05.2024 एवं राज्य बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था तथा उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 के आउटलेट से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी थी। निरीक्षण के समय उद्योग में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु स्थापित बायो फिल्टर पर जल छिड़काव समुचित रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही इरेगेशन मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा उद्योग से लगभग 01 किमी0 दूर स्थित सिंचाई हेतु भूमि दिखाई गयी, जो कि सूखी पायी गयी, जिससे परिलक्षित हुआ कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह का प्रयोग सिंचाई में समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है।
3. संयुक्त समिति की संस्तुति के आधार पर उद्योग में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत् जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच16194/सी–3/जल–589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
4. श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द–रेत्तेवाला व मौहल्ला छड़ियान, वार्ड नं0 13 व 10, कस्बा व तहसील कैराना, जनपद शामली द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के क्रम में आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा अपने पत्रांक 3422/एसटी/2024 दिनांक 12.11.2024 द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति (उपजिलाधिकारी कैराना, पुलिस क्षेत्राधिकारी कैराना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कैराना, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामली एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर) का गठन कर जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.11.2024 को किया गया।

क्रमश.....2....

संयुक्त निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की कुछ इकाईयाँ सुचारू रूप से संचालित नही पायी गयी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी कैराना के पत्रांक 1626/एसटी दिनांक 21.01.2025, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2025 को प्राप्त हुआ, के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या के अनुसार उद्योग के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

5. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में उद्योग द्वारा गन्दगी फैलाये जाने, खून को जमीन में दबाया/उतारा जाना तथा पशु कटान के उपरान्त गोबर आदि को खेत में डालने से दुर्गंध फैलने सम्बन्धी शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी शामली के पत्रांक 127/न्यायिक सहायक दिनांक 10.02.2025 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 15.02.2025 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। संयुक्त समिति की आख्या के अनुसार सन्दर्भित उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह को लगभग 1.0 किमी0 दूर उद्योग की स्वयं की भूमि पर सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होता पाया गया एवं निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की इकाईयां संचालित पायी गयी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित किया गया तथा विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी।

6. उद्योग से प्राप्त सूचना एवं कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण एवं संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर उद्योग के विरूद्ध कुल 65 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रूपये 30,000/– प्रतिदन की दर से रूपये 19,50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच25675/सी–3/जल–589/मु0नगर/25 दिनांक 12.03.2025 द्वारा सशर्त निक्षेपित किया गया है। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 19,50,000/– में से रूपये 5,00,000/– राज्य बोर्ड के खाते में दिनांक 23.06.2025 को जमा कराये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। अग्रेतर, उद्योग से बकाया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूल किये जाने हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक एच29641/सी–3/जल–584/2025 दिनांक 27.06.2025 के माध्यम से जिलाधिकारी, शामली को संस्तुति प्रेषित की गयी है।

7. उक्त उद्योग के विरूद्ध श्री राहुल ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भैंसों की अवैध कटान और पशु अत्याचार अधिनियम उल्लंघन सम्बन्धी तथ्यों को अंकित करते हुए शिकायत की गयी थी। शिकायत के क्रम में उपजिलाधिकारी कैराना द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर की गठित समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 08.10.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उपजिलाधिकारी कैराना के पत्रांक–2430/एस0टी0 दिनांक 07.11.2025 द्वारा मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 को नोटिस प्रेषित कर निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त सूचना आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

29/12/25

(गीतेश चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/25

क्षेत्रीय अधिकारी

(AEE)

D/Letter-2025)162

ANNEXURE-3

प्रेषक,

अपर आयुक्त (न्यायिक)
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर।

सेवा में,

1–उपजिलाधिकारी,
कैराना

2–पुलिस क्षेत्राधिकारी,
कैराना

3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
कैराना

4– क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मु0नगर

5– मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
शामली

संख्या 3427/एस0टी0/2024 दिनांक 12-11-2024

विषय– श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द–रेतोवाला व मौहल्ला छडियान, वार्ड नं0 13 व वार्ड नं0 10 कस्बा व तहसील कैराना जनपद शामली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4956/पी0ए0 दिनांक 21.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द–रेतोवाला व मौहल्ला छडियान, वार्ड नं0 13 व वार्ड नं0 10 कस्बा व तहसील कैराना जनपद शामली द्वारा जनसुनवाई के दौरान आयुक्त महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उसके वार्ड नं0 13 व उससे सटे हुये वार्ड नं0 10 में स्थित मीट फैक्ट्री प्लान्ट के स्वामी द्वारा मीट फैक्ट्री के अवशेषों का समुचित निस्तारण नहीं किया जाता है, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों में गन्दगी फैली रहती है तथा भूजल भी प्रदूषित हो गया है। प्रार्थी द्वारा आबादी के बीच स्थित उक्त मीट फैक्ट्री को बंद करवाकर अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने की प्रार्थना की गयी है। इस सम्बन्ध में दिनांक 26.09.2024 को मौके का निरीक्षण किया गया था किन्तु आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के आदेशों के अनुपालन में पुनः दिनांक 18.11.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया जाना है।

अतः अपेक्षित है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 18.11.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों सहित मौके पर जांच हेतु स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि तदानुसार जांचोपरान्त जांच आख्या आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय

(रमेश यादव)
अपर आयुक्त (न्यायिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, शामली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त (न्यायिक)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

 Annexure. 1

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर

जाँच आख्या

विषय : **शिकायतकर्ता श्री धन्नी पुत्र श्री बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द, रेत्तेवाला छडियान, कस्बा व तहसील कैराना, जनपद शामली द्वारा मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 कांधला रोड, कैराना जनपद शामली के विरूद्ध अपशिष्ट पदार्थों एवं आस–पास फैले गन्दगी के सम्बन्ध में जांच आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया कार्यालय ज्ञाप संख्या 4956/पी0ए0 दिनांक 21.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी, निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द–रेत्तेवाला व मौहल्ला छडियान वार्ड नं0 13 व वार्ड नं0 10 कस्बा व तहसील कैराना जनपद शामली द्वारा वार्ड नं0 13 व उससे सटे हुए वार्ड नं0 10 में स्थित मीट फैक्ट्री प्लान्ट के स्वामी द्वारा मीट फैक्ट्री के अवशेषों का समुचित निस्तारण नही किया जाता है, जिस कारण आस–पास के क्षेत्रों में गन्दगी फैली रहती है तथा भूजल भी प्रदूषित हो गया है के सम्बंध में आबादी के बीच स्थित उक्त मीट फैक्ट्री को बंद कराकर अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बधं में प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु श्री रमेश यादव, अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल की अध्यक्षता में टीम द्वारा दिनांक 04.10.2024 को जाँच करते हुए अपनी जाँच आख्या दिनांक 30.10.2024 को मण्डलायुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर महोदय के समक्ष प्रेषित की गयी। मण्डलायुक्त महोदय द्वारा जाँच आख्या में विसंगति होने, सी0सी0टीवी की फुटेज एवं फोटोग्राफ के सम्बन्ध मेंपुनः जाँच कर एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।
उक्त प्रकरण के सम्बधं में अपर आयुक्त (न्यायिक) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के पत्रांक 3422/एस0टी0/2024 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुपालन में पुनः दिनांक 18.11.2024 को, अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल महोदय की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी कैराना, पुलिस क्षेत्राधिकारी कैराना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामली की संयुक्त टीम द्वारा मीम एग्रो फूडस प्रा0लि0 की जॉच करायी गयी, जिसमें मौके पर शिकायतकर्ता श्री धन्नी पुत्र बुद्व आदि व मीम एग्रो फूडस प्रा0लि0 के मैनेजर मौ0 तनवीर उपस्थित रहे, जॉच के उपरान्त अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल महोदय के समक्ष उपरोक्त सभी के ब्यान (संलग्न) दर्ज कराये गये। जॉच आख्या निम्नवत है।

1. **मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शामली द्वारा उपलब्ध आख्यानुसारः–**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के अनुसारः–(संलग्नक---1)

– स्लाटरिंग से पूर्व एंटीमार्टम तथा स्लाटरिंग के बाद पोस्टमार्टम जॉच व मीट की स्टम्पिंग हेतु प्रशिक्षित वेटेनरी डाक्टर की व्यवस्था पायी गयी।
– स्लाटर हाउस के अन्दर मीट के स्टोरेज हेतु कोल्ड रूम की व्यवस्था पायी गयी।
– स्लाटर हाउस के अन्दर प्रयुक्त जल का परीक्षण किया गया है, जो मानक के अनुरूप पाया।
– स्लाटर हाउस से निकलने वाले अपशिष्ट खून, हडडी के निस्तारण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।

क्रमशः पृष्ठ संख्या--2 पर

- स्लाटर हाउस के अन्दर मीट पैकिंग हेतु स्वच्छता नियमो कापालन किये जाने का प्राविधान है। मौके पर मीट पैकिंग में लगे व्यक्तियों द्वारा हेडगियर व गलोब्स का प्रयोग करते हुए पाया गया।किन्तु मौके पर अवांछित दुर्गंधपायी गयी है। जिसे दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- स्लाटर हाउस में अन्य फूड मार्किट से दूर तथा प्रदूषण मुक्त एरिया में स्थापित होने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त मीट प्रतिष्ठान के पास दुकानों एवं लोगों के आवासीय भवन पाये गये है। पूछताछ के दौरान लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि जब मीट फैक्ट्री की स्थापना हुयी थी तो आस–पास आवासीय भवन एवं दुकान नहीं थी।
- स्लााटंर हाउस में अलग–अलग प्रजातियों के पशुओं के स्लाटरिंग के लिये अलग–अलग स्लाटरिंग हाल होने का प्रावधान है, उक्त प्रतिष्ठान में केवल भैंस प्रजाति के पशु की स्लाटरिंग होती पायी गयी है।
- स्लाटर हाउस के अन्दर मीट पैकिंग हेतु के अन्दर मीट पैकिंग हेतु स्वच्छता नियमो का पालन होते पाया गया।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगरः– (संलग्नक–2)
मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिदिन 600 बड़े पशुओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सहमति जल एवं वायु निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2028 तक है।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द–रेत्तेवाला व मौहल्ला छड़ियान, वार्ड नं0 13 व 10, कस्बा व तहसील कैराना, जनपद शामली द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के क्रम में आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.11.2024 द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन कर जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में मौ0 तनवीर, मैनेजर उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान जल एवं वायु प्रदूषण सम्बन्धी निम्न तथ्य पाये गये :–

1– मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिदिन 600 बड़े पशुओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सहमति जल एवं वायु निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2028 तक है। (छायाप्रति संलग्न)

2– उद्योग में भाप की आपूर्ति हेतु 6 टीपीएच क्षमता का ब्वायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन तथा भूतल से 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी से जनित उत्सर्जन में प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन कन्टीन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक है। निरीक्षण के समय उक्त सिस्टम संचालित नही पाया गया, परन्तु निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जर्जर अवस्था में पायी गयी जिससे स्पष्ट है कि संचालन के समय उद्योग से जनित उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या होती है। वायु प्रदूषण होने के कारण मानव जीवन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

3– उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं माँस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

4– उद्योग में रैण्डरिंग प्लांट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित है, जो संचालित पाया गया, परन्तु निरीक्षण के समय उद्योग परिसर में दुर्गंध की समस्या पायी गयी।

5– उद्योग में स्लाटरिंग, फ्लोर वॉशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्वड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण

क्रमशः पृष्ठ संख्या–3 पर

संयंत्र की कुछ इकाईयाँ सुचारू रूप से संचालित नही पायी गयी तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया, अग्रेतर, उद्योग के समीप लोकल ड्रेन एवं आबादी में स्थापित भूगर्भ जल का नमूना एकत्रित किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :–

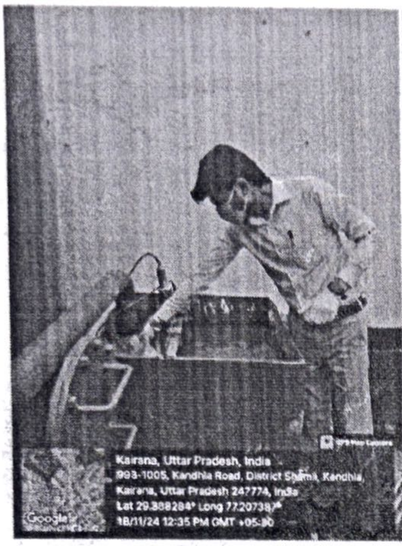

Outlet of ETP

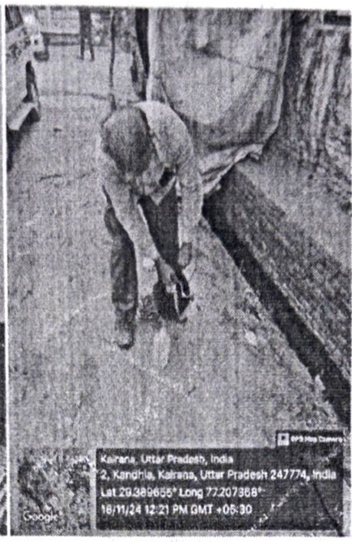

Local Drain

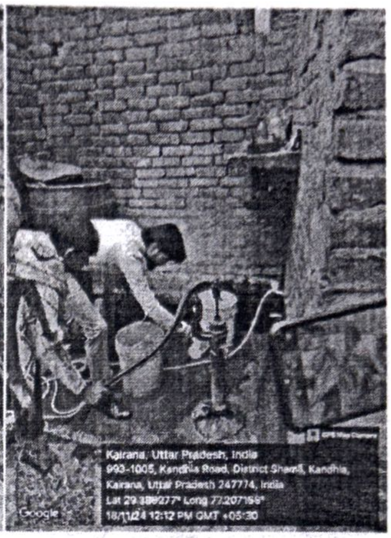

Ground Water

Dumping Area

Inspection with Committee

6– उद्योग में पशुवध से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड कोगुलेटर स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

7– शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर ऑनलाइन इफ्ल्यूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सिंचाई

क्रमशः पृष्ठ संख्या–4 पर

1441

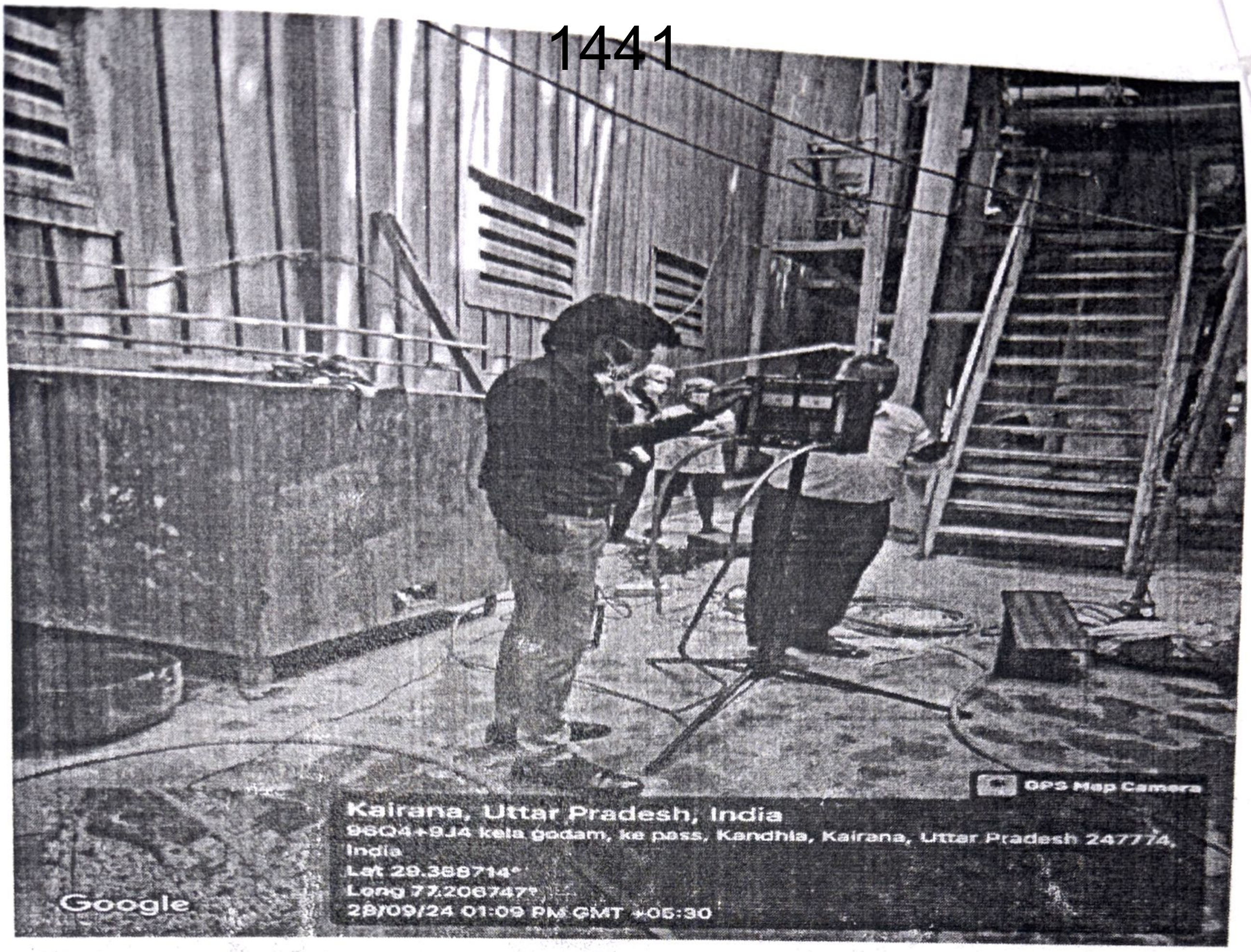

3. <u>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी शामली की जॉच आख्यानुसारः–(संलग्नक–3)</u>

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 461/37–1–2017 के पशुपालन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 24 मार्च 2017 एवं प्रिवेशन आफ क्रयल्अी टू एनीमल(स्लाटर हाउस) रूल्स 2001 के अनुसार पशु चिकित्साविद्‌ों को पशु वधशालाओं पर कार्य करते समय निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का संज्ञान रखना आवश्यक हैः–

1. पशुवध किये जाने वाले स्थान का पंजीकरण होना आवश्यक है।
2. प्रदेश में गोवंश एवं उसकी संतति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
3. किसी भी गाभिन पशु का वध नहीं किया जायेगा।
4. ऐसे पशु का वध नहीं किया जायेगा, जिसके बच्चे की उम्र तीन माह से कम है।
5. किसी भी ऐसे पशु का वध नहीं किया जायेगा, जिसकी उम्र 3 माह से कम है।
6. वध से पूर्व प्रत्येक पशु का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाय।
7. वध किये जाने वाले पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण 24 घंटे से पूर्व किया जायेगा। परीक्षणोंपरान्त वध योग्य पशुओं को एक स्थान (लैरेज) पर संरक्षित रखा जायेगा।
8. लैरेज में स्थान पर प्रति पशु 2.8 वर्ग मीटर (बडे पशु) मानक मानकर पशुओं की संख्या का निर्धारण किया जायेगा।
9. लैरेज में पशुओं के पानी पीने की समुचित वयवस्था होना चाहिए।
10. लैरेज में पशुओं को धूप, वर्षा एवं शीत हवाओं से बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. परीक्षण के दौरान वध योग्य अनुपयुक्त पशुओं को एक पृथक स्थान पर (आइसोलेशन पैन) पर संरक्षित रखा जायेगा। उक्त पशुओं की समुचित चिकित्सा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
12. वध योग्य पशुओं का फिटनेस प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना चाहिए

क्रमशः पृष्ठ संख्या–7 पर

13. प्रत्येक पशु चिकित्साविद् द्वारा एक घंटे में मात्र 12 पशुओं का ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। अतएव प्रतिदिन 8 घन्टे की सेवा अवधि का आधार पर मानते हुए प्रतिदिन 96 पशुओं तक ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।
14. वध से पूर्व पशुओं का भौतिक परीक्षण भी किया जायेगा, चूँकि स्वास्थ्य परीक्षण 24 घन्टे पूर्व किया गया था।

उद्योग पशु एपीडा में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या एपीडझ/149 तथा वैद्यता तिथि 02.12.2024 है, उद्योग में प्रतिदिन 600 पशुवध की क्षमता है, निदेशक, रोग नियंत्रण एंव प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित डा0 राजीव कुमार राना, पशुचिकित्साधिकारी ऊंचागांव के अतिरिक्त उद्योग में 06 पंजीकृत पशु चिकित्साविद कार्यरत है, जिसका विवरण निम्न है। 1. डा0 रामप्रकाश 2. डा0 सुनील कुमार साहा 3. डा0 विजेन्द्र सिंह 4. डा0 अरविन्द सिंह यादव 5. डा0 अजीत कुमार 6. डा0 मनोज कुमार मौर्य।इनके द्वारा वध किये जाने वाले पशुओं का एन्टीमार्टम एंव पोस्टमार्टम किया जाता है, साथ ही उद्योग में 01 माईक्रोबायोजिस्ट द्वारा मीट की गुणवत्ता की प्रतिदिन जॉच की जाती है, साथ ही पशु चिकित्साधिकारी द्वारा रैण्डम सैम्पलिंग कराई जाती है(रिपोर्ट संलग्न)। उद्योग द्वारा उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960, पशुओ का परिवहन नियम 1978, वधशाला नियम 2001, पशुओ का पैदल परिवहन नियम 2001, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 का पालन किया जा रहा है। उद्योग में 07 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हुए है, जिसके आधार पर गोवंश एंव गर्भित पशुओं का वध होता नहीं पाया गया। राजकीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशुवधशाला से वर्ष 2023–24 में निर्यात किये गये मीट की एन्टीमार्टम/पोस्टमार्टम एंव कॉर्टन लेवी के रूप में धनराशि अंकन रु0 1021805/– राजकीय कोष मे जमा करायी गयी है। निरीक्षण के समय लैरेज में लगभग 400 महिषवंशीय पशु उपलब्ध पाये गये, जिसमें 02 पशु रिजेक्ट हुए। उद्योग के आस–पास में साफ–सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी तथालैरेज में स्थान पर प्रति पशु 2.8 वर्ग मीटर (बडे पशु) मानक के अनुसार नहीं पाया गया है। अर्थात् पशु काफी आस–पास (नजदीक) सटे हुए पाए गए है। जिससे पशुओं को उठने बैठने में समस्या होती है।

4. <u>राजस्व विभाग की जॉच आख्यानुसारः–</u>

कैराना अन्दर हदूद नं0–3 में स्थित खसरा नं0 993 रकबा 0.2970हे0, खसरा नं0 994मि0 रकबा 0.113हे0, खसरा नं0 994मि0 रकबा 0.1130हे0, खसरा नं0 995 रकबा 0.1840हे0, खसरा नं0 996मि0 रकबा 0.0150हे0, खसरा नं0 996मि0 रकबा 0.0150हे0, खसरा नं0 997 रकबा 0.0610हे0, खसरा नं0 999 रकबा 0.3690हे0, खसरा नं0 1000 रकबा 0.1230हे0, खसरा नं0 1005 रकबा 0.4410हे0 कुल रकबा 1.7310हे0 मे से 0.7751हे0 में मै0 मीम एग्रो फुडस् प्रा0लि0 कांधला रोड़ कैराना जनपद शामली स्थित है। उक्त भूमि पृथक–पृथक बैनामो द्वारा कय की गयी है। उक्त मीट फैक्ट्री द्वारा सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण नही किया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मै0 मीम एग्रो फुडस् प्रा0लि0 कांधला रोड कैराना जनपद शामली द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 (स्लाटर हाउस लाइसेंस 2011) के प्रावधानों एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की यथासंशोधित धारा 33ए का उल्लंघन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1. स्लाटर हाउस से निकलने वाले अपशिष्ट खून, हडडी के निस्तारण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।
2. निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जर्जर अवस्था में पायी गयी जिससे स्पष्ट है कि संचालन के समय उद्योग से जनित उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या होती है। वायु प्रदूषण होने के कारण मानव जीवन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
3. निरीक्षण के समय उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सिंचाई स्थल तक जाता हुआ नही पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह नाले में निस्तारित किया जाता है। उद्योग द्वारा नाले

क्रमशः पृष्ठ संख्या–8 पर

में प्रदूषित जल का उत्प्रवाह किये जाने के कारण भू-गर्भ जल का प्रदूषित होना पाया गया है।

4. उद्योग के आस-पास में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी तथा लैरेज में स्थान पर प्रति पशु 2.8 वर्ग मीटर (बडे पशु) मानक के अनुसार नहीं पाया गया है। अर्थात पशु काफी आस-पास (नजदीक) सटे हुए पाए गए है। जिससे पशुओं के उठने बैठने में समस्या होती है।
5. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की यथासंशोधित धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश किये जाने की संस्तुति की जाती है।

जाँच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

विनोद कुमार राय
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी
शामली

दिवाकर देव गहलौत
जे0आर0एफ0
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर

इमरान अली
पर्या0अभि0
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर

डॉ0 राजीव राणा
पशु चिकित्साधिकारी
कैराना

डॉ0 सी0बी0 कश्यप
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
शामली

श्याम सिंह
क्षेत्राधिकारी कैराना

स्वाप्निल कुमार यादव
उपजिलाधिकारी कैराना

रमेश यादव
अपर आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

 ANNEXURE-4

27-1-25

कार्यालय उप जिलाधिकारी कैराना जनपद-शामली।

पत्रांकः-1626 /एस0टी0 दिनांकः-21 .01.2025

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर / शामली।

श्री धन्नी पुत्र बुद्ध आदि, निवासी मौह0 दरबारखुर्द कैराना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपर आयुक्त (न्यायिक) महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 18.11.2024 को अपर आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर की अध्यक्षता में कस्बा कैराना स्थित मीम एग्रो फूडस प्रा0लि0 की संयुक्त जॉच की गयीं थी, जिसमें आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित कर उक्त जॉच के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या मे उल्लिखित बिन्दुओं का शासनादेश में दिये गये प्राविधानो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः शासनादेश में दिये गये प्राविधानो के अनुरूप आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के आदेश के कम में कार्यवाही / अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या दिनाक 30.01.2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी महोदय को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सकें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी
कैराना।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
कैराना।

ANNEXURE-5

अनुस्मारक पत्र–01

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली

संख्या: 127 /न्यायिक सहायक, दिनांक 10 –02–2025

विषयः कस्बा कैराना में कांधला रोड पर मीम एग्रो फुड्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से चल रही मीट फैक्टरी को बन्द कराने व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कराने के संबंध में।

1– उप जिलाधिकारी, कैराना।
2– क्षे0अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।
3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।
4– जिला अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, शामली।

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या:–352/15–बी/2024–27/जे0ए0, दिनांक 02–01–2025, जो इस कार्यालय से पृष्ठांकन संख्या:–36/जे0ए0, दिनांक 17–01–2025 के माध्यम से संयुक्त रूप से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, लो0शि0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:–डीजी–6–26(बी–29)/2024, दिनांक 13–12–2024 एवं उ0प्र0 शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0–03एम0एम0/छः– पु0–3–2024–1876736, दिनांक 10–12–2024 के संदर्भ में श्री अनिल सिंह पुत्र श्री जबर सिंह, निवासी खिदडिया, जनपद मुजफ्फरनगर के दिनांक रहित आवेदन पत्र के संबंध में मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है, परन्तु उक्त के संबंध में आपकी संयुक्त जांच आख्या अभी तक अप्राप्त है।

इसी क्रम में उ0प्र0 शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या:–79पी/छः–पु–3–2025, दिनांक 27–01–2025, जो इस कार्यालय से पृष्ठांकन संख्या:–100/जे0ए0, दिनांक 31–01–2025 के माध्यम से संयुक्त रूप से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है, के माध्य से भी श्री अनिल कुमार, निवासी खिदडिया, जनपद मुजफ्फरनगर के दिनांक रहित आवेदन पत्र के संबंध में मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि श्री अनिल कुमार, निवासी खिदडिया, जनपद मुजफ्फरनगर के दिनांक रहित आवेदन पत्र के संबंध में मामले की जांच कर संयुक्त जांच आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(संतोष कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(संतोष कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शामली।

ANNEXURE-6

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
कैराना।

सेवा में,

सचिव
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग
तृतीय तल इन्दिरा भवन लखनऊ।

पत्रांक: 1678/एस0टी0 दिनांक: 25 02.2025

महोदय,

कृपया उ0प्र0 वर्ग राज्य आयोग तृतीय तल भवन अशोक मार्ग लखनऊ पत्रांक संख्या 1053/01/119–शि0उ0–2024/रा0पि0व0आ0/2025 दिनांक 14.02.2025 पर पृष्ठांकित अपने कार्यालय पत्र संख्या 07/सी0सी0 दिनांक 20.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत श्री धन्नी पुत्र बुद्व व समस्त मौहल्लावासी दरबारखुर्द रेत्तवाला कस्बा कैराना जनपद शामली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम मे जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में महोदय को सादर अवगत कराना है, कि उ0प्र0 पिछडा वर्ग राज्य आयोग, लखनऊ पत्र संख्या 438/01/119–शि0उ0–2024/रा0पि0 व0अ0/2025 दिनांक 20.01.2025 के कम में इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या 1629/एस0टी0 दिनांक 21.01. 2025 के कम में श्रीमान आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के निर्देश के कम के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शामली, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शामली को जॉच आख्या में अंकित अपने विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं पर शासनादेश में दिये गये प्राविधानो के अनुरूप कार्यवाही/अनुपालन कराते हुए दिनांक 30.01.2025 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेशित किया गया था।

उक्त प्रकरण की पुनः जॉच करायी गयी, जिसमें सम्बंधित विभाग की आख्या निम्न प्रकार है।

<u>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, शामली।</u>

1. उद्योग एपीडा में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या एपीडा/149 तथा वैधता तिथि 09.05.2025 है, जिसमें प्रतिदिन 600 पशुवध की क्षमता है। उद्योग एफ0एस0एस0ए0आई0 से पंजीकृत है। पशुवधशाला में भैंस प्रजाति के पशुओं के एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम एंव प्रमाणन करने तथा पशुवध अधिनियम 2001 के अनुसार कार्य करने हेतु निदेशक, रोग नियंत्रण एंव प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डा0 राजीव कुमार राना, पशु चिकित्साधिकारी ऊंचागांव को नामित किया गया है। उद्योग में माइकोबायोलोजिस्ट द्वारा मीट की गुणवत्ता की प्रतिनि जॉच की जाति है।
2. उद्योग द्वारा माह नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 तक वध किये पशुओ के सापेक्ष निर्धारित एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम एंव प्रमाणन लेवी राजकीय को ा में नही करायी गयी, जिसके सम्बंध मे आवश्यक निर्देश निर्गत किया गया।
3. लैरेज म पशुओं के पानी पीने हेतु स्वच्छ एंव ताजा पेयजल की व्यवस्था पायी गयी, लैरेज का टीन शेड को नवीनीकरण हेतु आवश्वासन दिया गया।
4. उद्योग म सफाई व्यवस्था की उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।

5. उद्योग में रैण्डिंग प्लान्ट , इ0टी0पी0 प्लान्ट एंव लैरेज एरिया पर साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये।
6. उद्योग में शासनदेश संख्या 461/37–1–2017 दिनांक 24 मार्च 2017 एव निदेशक, रोग नियंत्रण एंव प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 5146/सामा0–2/2016–2017 दिनांक 25.03.2017 के अनुसार लैरेज में पशु मानक के अनुरूप संरक्षित पाये गये।
7. एन्टीमार्टम एंव पोस्टमार्टम के सभी अभिलेख जॉचोपरान्त पूर्ण पाये गये।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकार
शामली।

1. स्लारटिंग से निकलने वाले अपशिष्ट, खून हडडी का रेन्डरिंग प्रोसेस से निस्तारण किया जा रहा हैं।
2. स्लाटर हाउस में अवांछित दुर्गन्ध के लिए बायोफिल्टर की स्थापना कि गयी है व समय–समय पर यूकेलिप्टस ऑयल का स्प्रे कराया जाता है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

1. मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिदिन 600 बड़े पशुओ (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12. 2028 तक है।

2– उद्योगमे स्लाटरिंग, फ्लोर वॉशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लजड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धि करण संयंत्र संचालित पाया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट और फाइनल आउट लेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया।विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रदूषित प्रचालकों के मानबोर्ड मानको के अनुरूप पाये गये। विश्लेषण आख्या संलग्न है।उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सिंचाई में प्रयोग किया जाता पाया गया। अग्रेतर, उद्योग में स्थापित भूगर्भ जल का नमूने एकत्रित कियेगये। विश्लेषण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :–

Inlet of ETP

Outlet of ETP

Ground Water

Irrigation Area

Inspection with Committee

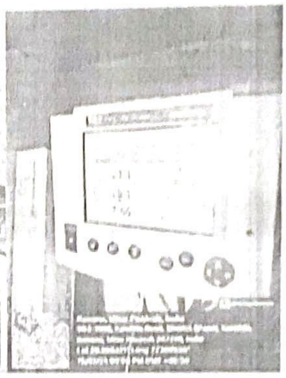
OCEMS

3– शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउट लेट पर ऑनलाइन इफ्ल्यूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के सर्वर से लिंक है।

4– उद्योग में पशुवध से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड को गुलेटर स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

5– उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं माँस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित नही पाया गया।

6– उद्योग मे भाप की आपूर्ति हेतु 6 टीपीएच क्षमता का ब्यायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप मे मल्टी साइक्लोन तथा भूतल से 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी से जनित उत्सर्जन में प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन कन्टीन्युअसइमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के सर्वर से लिंक है। निरीक्षण के समय उक्त सिस्टम संचालित नही पाया गया।

7– उद्योग में रैण्डरिंग प्लांट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित है, जो संचालित पाया गया।

8– उद्योग से जनित सॉलिडवेस्ट गोबर को स्वयं की भूमि पर एकत्रित कर समुचित व्यवस्था स्थापित कर उक्त स्थल के चारो ओर फेन्सिंग कर भण्डारित किया जाता पाया गया।

9– उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच16194/सी–3/जल–589/2024 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की यथासंशोधित धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

उप जिलाधिकारी
कैराना।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, शामली को कार्यालय पत्र संख्या 07/सी0सी0 दिनांक 20.02.2025 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
कैराना।

ANNEXURE-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H25675 / सी–3 / जल 589 / मु०नगर / 25 दिनांकः 12 / 03 / 2023

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा०लि०,
कांधला रोड, कैराना,
जनपद–शामली।

विषयः– मै० जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.08.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 16194 / सी–3 / जल–589 / मु0नगर / 2024 दिनांक 27.08.2024 जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के कम में उद्योग के प्रत्यावेदन के अनुसार ई0टी0पी0 स्टेब्लाईजेशन के दृष्टिगत नमूना एकत्रण हेतु 04 दिन का समय चाहा गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 10.03.2025 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर दिनांक 18.05.2024 से 26.06.2024 के मध्य 40 दिवस एवं दिनांक 18.11.2024 से 27.12.2024 तक 40 अर्थात कुल 80 उल्लंघनकारी दिवसों में से उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 28.09.2024 के दृष्टिगत दिनांक 10.06.2024 से 24.06.2024 तक ईंट के त्यौहार के कारण उद्योग संचालित न होने के दृष्टिगत 15 दिवस घटाते हुए कुल 65 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000 / –प्रतिदिन की दर से रू0 19,50,000 / –(रू0 उनीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.08.2024 को निम्नलिखित शर्तो के साथ निस्तारित किया जाता हैः–

1. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत निर्गत सहमति जल की समस्त शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
2. उद्योग द्वारा पशुबधशाला के संबंध में जारी 24 कम्पोडियम बिन्दु का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
3. उद्योग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुबधशालाओं के संचालन से संबंधित दायर रिट याचिका सं0 (सिविल) / 309 / 2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रदेश में पशुबधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग–8 के पत्र सं0 2303 / 9–8–2012–15(रिट) / 2012 दिनांक 22.08.2012 तथा मुख्य सचिव, उ0सप्र0 शासन के पत्रांक 1645 / 9–8–2014–2 सीएस / 12 दिनांक 30.06.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 231 / 2014, ओ0ए0 सं0 66 / 2015 एवं ओ0ए0 अप्लीकेशन नं0 19 / 2018(एमए नं0 172 / 2018) में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. उद्योग में समुचित हाउसकिपिंग सुनिश्चित किया जाये। जिससे पब्लिक न्यूसेंस की समस्या उत्पन्न न हो।
7. उद्योग द्वारा निस्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस का निस्तारण रेण्डरिंग प्लांट एवं स्लाटरिंग से जनित ब्लड का निस्तारण ब्लड मिल के माध्यम से किया जाये।
8. उद्योग में स्थापित बायोफिल्टर का रख रखाव एवं संचालन समुचित प्रकार से किया जाये। जिससे आस–पास किसी प्रकार की दुर्गन्ध की समस्या न हो।
9. उद्योग द्वारा सोधित उत्प्रवाह का निस्तारण किसी नदी, नाले, तालाब में न किया जाये तथा शुद्विकृत उत्प्रवाह का निस्तारण प्रत्येक दशा में स्वयं की भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये तथा उक्त के सबंध में एरीगेशन मैनेजमेन्ट प्लांट बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये।

10. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से इस प्रकार किया जाए कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
11. उद्योग द्वारा ई.टी.पी. के आउटलेट पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एस. को सी.पी.सी.बी. एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से विश्लेषित कराकर विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
13. उद्योग द्वारा मा.एन.जी.टी., केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
14. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 19,50,000/-(रू0 उनीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि तत्काल निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेः-
    Payment Gateway- https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
    Nature of Pollution- Water Pollution
    EC imposed in compliance- UPPCB Order
16. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 27.08.2024 को जारी कारण बताओ नोंटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-3

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, शामली।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली।
3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, शामली।
5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली।
6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE
Lifestyle for Environment

Online Environmental Compensation Payment Portal

name MEEM AGRO FOODS PRIVATE LIMITED	mobile 9212404081
email meemagro@gmail.com	industry_address 993-1005 KAIRANA ROAD KANDHLA DISST SHAMLI
nature_of_pollution Water Pollution	regional_offices Lucknow
district Lucknow	EC_imposed_by_compliance UPPCB Order
amount_EC_imposed 1950000	amount_EC_imposed_word Nineteen Lakh Fifty Thousand Rupees Only.
amount 500000	amount_word Five Lakh Rupees Only.
txnid eshf_6858ebd9ac16516771750658009	TransactionNumber 250623232257150
Payment Date 23-06-2025	paymentMode Net Banking
Status Success	

Note :- Computer Generate Receipt & No Signature Required.

Powered by eshiksa

ANNEXURE-8

कार्यालय उपजिलाधिकारी कैराना जनपद–शामली।

संख्याः–193 /एस0टी0

दिनांकः–03.05.2025

आदेश

मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी श्री राहुल ठाकुर, सामाजिक कार्यककर्ता 613/6 जागृति विहार, मेरठ (9219555556) द्वारा मीम एग्रोटेक फूड़ प्राइवेट लिमिटेड़ कैराना जिला शामली यू0पी0 में भैसों का अवैध कटान और पशु अत्याचार अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी व अन्य तथ्य अंकित करते हुए जांच कराये जाने की प्रार्थना की गयी है, जिसकी जांच हेतु तहसीलदार कैराना की अध्यक्षता में निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता हैः–

क्र0सं0	जांच किये जाने हेतु संस्था का नाम	गठित टीम
1	मीम एग्रोटेक फूड़ प्राइवेट लिमिटेड़ कैराना	तहसीलदार कैराना – **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली** मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामली क्षे0 अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।

उक्त कम में आपको निर्देशित किया जाता है आपस में समन्वय स्थापित कर उपरोक्त की जांच कर आख्या 01 सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी
कैराना।

संख्या व दिनांक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी महोदय शामली को सूचनार्थ प्रेषित।

3- प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना, को इस निर्देश के साथ की मौक पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

उपजिलाधिकारी
कैराना।

Seen

तहसीलदार कैराना
जनपद–शामली
04.05.25

ANNEXURE-9

कार्यालय उपजिलाधिकारी कैराना जनपद शामली

पत्रांकः–123 /एस0टी0

दिनांकः- 29 .10.2025

विषयः– जनपद शामली में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित निर्यातोन्मुखी पशुवधशाला/खाद्य प्रसंस्करण इकाई मै0 मीम एग्रे फूड्स प्रा0 लि0 कांधला रोड़ कैराना की निरीक्षण उपरान्त आख्या का प्रेषण।

जिलाधिकारी
शामली।

महोदय,

कृपया मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी श्री राहुल ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता 613/6 जागृति विहार मेरठ द्वारा मीम एग्रोटेक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड़ कैराना जिला शामली यू0 पी0 में भैंसों का अवैध कटान और पशु अत्याचार अधिनियम के उल्लघंन सम्बन्धी तथ्य अंकित करते हुए जांच कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

महोदय शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच/निस्तारण हेतु टीम का गठन किया गया। उक्त प्रकरण की पुनः जॉच करायी गयी, जिसमें सम्बंधित विभाग की आख्या निम्न प्रकार हैः–

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।

1. उद्योग एपीडा में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या एपीडा/149 तथा वैधता तिथि 21.03.2027 है। उद्योग में प्रतिदिन 600 पशुवध की क्षमता है। उद्योग एफएसएसएआई से पंजीकृत है। जिसका लाईसेंस संख्या 10011305100082 7 की वैधता 02 दिसम्बर 2029 है। उद्योग को उ0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 31.12.2027 है, पशुवध शाला में भैंस प्रजाति के पशुओं के एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम एवं प्रमाणन करने तथा पशुवध अधिनियम 2001 के अनुसार कार्य करने हेतु निदेशक, रोग नियत्रंण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा डा0 राजीव कुमार राना, पशु चिकित्साअधिकारी ऊंचा गांव को नामित किया गया है, उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 06 पंजीकृत पशु चिकित्साविद् कार्यरत है, जिनके द्वारा वध किये जाने वाले पशुओं का एन्टीमार्टम एवं पोस्टमार्टम किया जाता है, साथ ही उद्योग में 01 माइक्रोबायोलोजिस्ट द्वारा मीट की गुणवत्ता की प्रतिदिन जांच की जाती है, निरीक्षण के समय लैरेज में 170 महिषवंशीय पशु पाये गये। उद्योग में 07 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे है, जिसके आधार पर गौवंश, 01 वर्ष से कम आयु एवं गर्भित पशुओं का वध होता नहीं पाया गया।

क्रमशः– 02

2. उद्योग द्वारा माह अगस्त 2025 तक वध किये पशुओ के सापेक्ष निर्धारित एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम एंव प्रमाणन लेवी राजकीय कोष में जमा करायी गयी है।
3. लैरेज में पशुओं के पानी पीने हेतु स्वच्छ एंव ताजा पेयजल की व्यवस्था पायी गयी, पुनः निर्देश दिये जाते है कि लैरेज का क्षतिग्रस्त टीन शैड़ का नवीनीकरण तत्काल कराया जाये।
4. उद्योग में सफाई व्यवस्था की उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।
5. उद्योग में रैण्डरिंग प्लान्ट , ई0टी0पी0 प्लान्ट एंव लैरेज एरिया पर साईन बोर्ड नहीं लगाये गये है, कार्यवाही तत्काल किया जाना आवश्यक है।
6. एन्टीमार्टम एंव पोस्टमार्टम के सभी अभिलेख जॉचोपरान्त पूर्ण पाये गये।

<u>मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी</u>
शामली।

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 तत्सम्बंधी नियम विनियम 2011 के अनुसार प्रतिष्ठान में स्लाटरिंग से पूर्व एंटीमार्टम तथा स्लाटरिंग के बाद पोस्टमार्टम जॉच व मीट की स्टम्पिंग हेतु प्रशिक्षित वेटनरी डाक्टर की व्यवस्था पायी गयी।

1. स्लाटर हाउस के अन्दर मीट के स्टोरेज हेतु कोल्ड रूम की व्यवस्था पायी गयी।
2. स्लाटर हाउस के अन्दर प्रयुक्त जल का परीक्षण किया गया।
3. स्लाटर हाउस से निकलने वाले अपशिष्ट खुन, हडडी के निस्तारण की व्यवस्था रैन्ड़रिंग प्लांट के द्वारा होता पाया गया।
4. स्लाटर हाउस के अन्दर मीट पैंकिंग हेतु स्वच्छता नियमो का पालन होते पाया गया।
5. स्लाटर हाउस का अन्य फूड मार्किट से दूर प्रदुषण मुक्त एरिया में स्थापित होने का प्रावधान है वर्तमान में उक्त मीट प्रतिष्ठान के पास दुकानो, एंव लोगो के आवासीय भवन पाये गये है। पुछताछ के दौरान स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि जब मीट फैक्ट्री की स्थापना हुयी थी तो आस पास आवासी भवन एंव दुकाने नही थी।
6. स्लाटर हाउस में अलग–2 प्रजातियों के पशुओं के स्लारटिंग के लिए अलग–2 स्लारटिंग हाल होने का प्रावधान है उक्त प्रतिष्ठान में <u>केवल भैंस</u> प्रजाति के पशु की स्लाटरिंग होती पायी गयी।

<u>उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर</u>

1. सनर्भि उद्योग मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली में स्थापित/संचालित है।
2. सन्दर्भित उद्योग में 600 बड़े पशुाओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सशर्त जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2027 तक जारी की गयी है।

<u>क्रमशः– 03</u>

3. सन्दर्भि उद्योग में 06 टन/घण्टा वाष्पजनन् क्षमता का ब्वॉयलर स्थापित है। ब्वॉयलर से सम्बद्ध वायु प्रदूषण नियत्रंण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर से सम्बद्ध वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित है। ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी भू–तल से लगभग 30 मीटर उंची स्थापित है। निरीक्षण के समय ब्वॉयलर संचालित नहीं पाया गया।
4. ब्वॉयलर से जनिक प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन कन्टीन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है।
5. उद्योग में प्रक्रिया स्लाटरिंग, फ्लोर वांशिग तथा रैण्ड़रिग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप, इक्वलाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड़ एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड़ फिल्टर एक्टीवेटिड़ कार्बन फिल्टर एवं स्लज डाईंग बैड्स स्थापित है।
6. उद्योग में शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणवत्ता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र के फाइनल आउटलेट पर online continuous effluent monitoring system (OCEMS) स्थापित/संचालित है,जो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है। ओ0सी0ई0एम0एस0 को डिस्पले में प्रदर्शित हो रहे प्रदूर्षित प्रचालकों के मान मानको के अनुरूप पाये गये।
7. निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र संचालित पाया गया। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के अंतिम बिन्दु से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालको के मान मानको के अनुरूप पाये गये। उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सिचांई में प्रयोग किया जाता पाया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है।
8. सन्दर्भित उद्योग में स्लाटरिंग प्रकिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मॉस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लाट स्थापित है।
9. उद्योग में रैण्डरिंग प्लाट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित/संचालित पाया गया।
10. निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित रैण्डरिंग प्लाट को टीन शेड आंशिक रूप से टूटा हुआ पाया गया तथा उद्योग में स्लाटरिंग एरिया में हाउस किपिंग का कार्य सुव्यवस्थित नही पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग मै0 मीम एग्रो टैक फूड़ प्राईवेट लिमिटेड़ कैराना जिला शामली में स्थापित रैण्ड़रिंग प्लांट के टीन शेड़ की मरम्मत कराने, हाउस किपिंग की समुचित व्यवस्था किये जाने एवं दुर्गंध की रोकथाम हेतु बॉयोफिल्टर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु, संयुक्त जांच आख्या संलग्न सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
कैराना।

उप जिलाधिकारी
कैराना

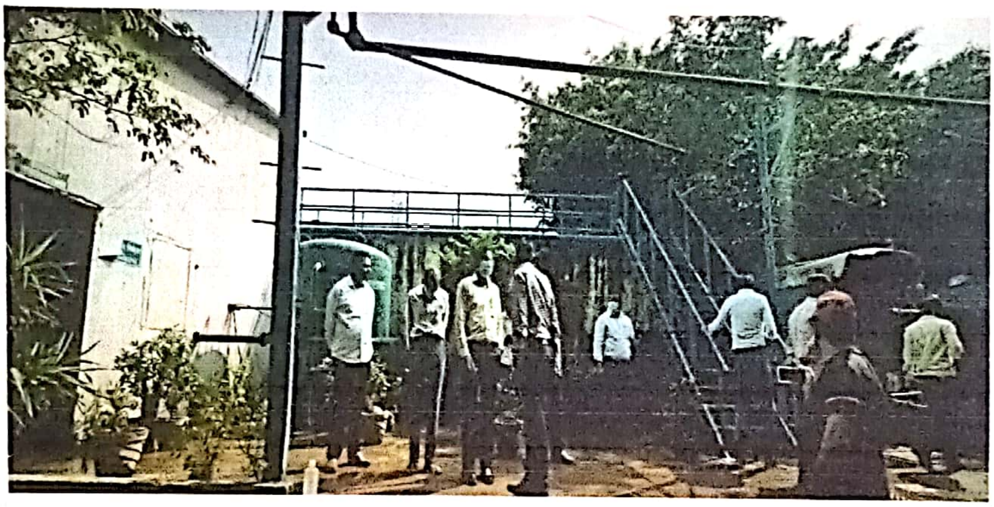

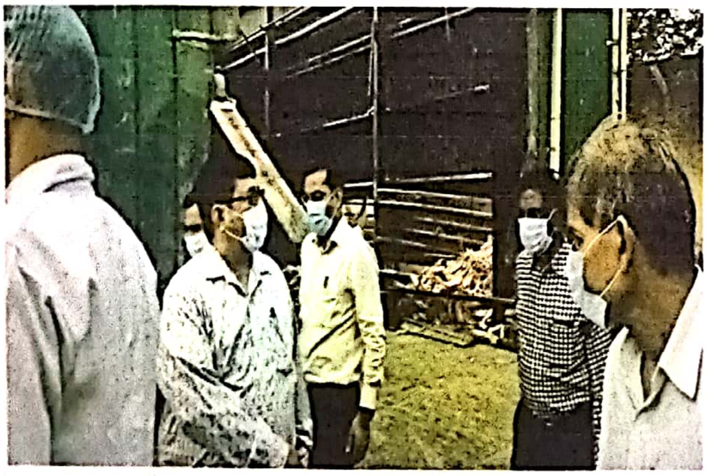

कार्यालय उपजिलाधिकारी कैराना जनपद शामली

पत्रांकः–2430/एस0टी0 दिनांकः- 07.11.2025

18-11-2

विषयः– जनपद शामली में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित निर्यातोन्मुखी पशुवधशाला/खाद्य प्रसंस्करण इकाई मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0 कांधला रोड़ कैराना के निरीक्षण उपरान्त अनुपालन हेतु।

1328/JA
15-11-25
RO-UPPCB
क्ष.अ. का. हेतु

नोटिस

प्रबन्धक
मै0 मीम एग्रो प्रा0 लि0
कांधला रोड़ कैराना
जनपद शामली।

शामली

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी श्री राहुल ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता 613/6 जागृति विहार मेरठ द्वारा मीम एग्रोटेक फूडद्य प्राइवेट लिमिटेड़ कैराना जिला शामली यू0 पी0 में भैंसों का अवैध कटान और पशु अत्याचार अधिनियम के उल्लघंन सम्बन्धी तथ्य अंकित करते हुए जांच कराये जाने की प्रार्थना की गयी थी।

जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच/निस्तारण हेतु तहसीलदार कैराना की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया तथा जॉच करायी गयी, जिसमें सम्बंधित विभागो द्वारा अपनी अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी जो क्रमशः निम्न प्रकार है:–

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली।

1902/SS
J.A
जे0 आर0 हेतु
ADM(F&R)
10.11.2025
AEE/JE

उद्योग एपीडा में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या एपीडा/149 तथा वैधता तिथि 21.03.2027 है। उद्योग में प्रतिदिन 600 पशुवध की क्षमता है। उद्योग एफएसएसएआई से पंजीकृत है। जिसका लाईसेंस संख्या 10011305100827 की वैधता 02 दिसम्बर 2029 है। उद्योग को उ0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 31.12.2027 है, पशुवध शाला में भैंस प्रजाति के पशुओं के एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम एवं प्रमाणन करने तथा पशुवध अधिनियम 2001 के अनुसार कार्य करने हेतु निदेशक, रोग नियत्रंण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा डा0 राजीव कुमार राना, पशु चिकित्साअधिकारी ऊंचा गांव को नामित किया गया है, उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 06 पंजीकृत पशु चिकित्साविद् कार्यरत है, जिनके द्वारा वध किये जाने वाले पशुओं का एन्टीमार्टम एवं पोस्टमार्टम किया जाता है, साथ ही उद्योग में 01 माइक्रोबायोलोजिस्ट द्वारा मीट की गुणवत्ता की प्रतिदिन जांच की जाती है, निरीक्षण के समय लैरेज में 170 महिषवंशीय पशु पाये गये। उद्योग में 07 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे है, जिसके आधार पर गौवंश 01 वर्ष से कम आयु एवं गर्भित पशुओं का वध होता नहीं पाया गया।

क्रमशः– 02

2.उद्योग द्वारा माह अगस्त 2025 तक वध किये पशुओ के सापेक्ष निर्धारित एण्टीमार्टम / पोस्टमार्टम एंव प्रमाणन लेवी राजकीय कोष में जमा करायी गयी है।
3.लैरेज में पशुओं के पानी पीने हेतु स्वच्छ एंव ताजा पेयजल की व्यवस्था पायी गयी, पुनः निर्देश दिये जाते है कि लैरेज का क्षतिग्रस्त टीन शैड़ का नवीनीकरण तत्काल कराया जाये।
4.उद्योग मं सफाई व्यवस्था की उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।
5.उद्योग में रैण्डरिंग प्लान्ट , ई0टी0पी0 प्लान्ट एंव लैरेज एरिया पर साईन बोर्ड नहीं लगाये गये है, कार्यवाही तत्काल किया जाना आवश्यक है।
6.एन्टीमार्टम एंव पोस्टमार्टम के सभी अभिलेख जॉचोपरान्त पूर्ण पाये गये।

<u>मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी</u>
शामली।

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 तत्सम्बंधी नियम विनियम 2011 के अनुसार प्रतिष्ठान में स्लाटरिंग से पूर्व एंटीमार्टम तथा स्लाटरिंग के बाद पोस्टमार्टम जॉच व मीट की स्टम्पिंग हेतु प्रशिक्षित वेटनरी डाक्टर की व्यवस्था पायी गयी।
1.स्लाटर हाउस के अन्दर मीट के स्टोरेज हेतु कोल्ड रूम की व्यवस्था पायी गयी।
2.स्लाटर हाउस के अन्दर प्रयुक्त जल का परीक्षण किया गया।
3.स्लाटर हाउस से निकलने वाले अपशिष्ट खुन, हडडी के निस्तारण की व्यवस्था रैन्ड़रिंग प्लांट के द्वारा होता पाया गया।
4.स्लाटर हाउस के अन्दर मीट पैंकिंग हेतु स्वच्छता नियमो का पालन होते पाया गया।
5.स्लाटर हाउस का अन्य फूड मार्किट से दूर प्रदुषण मुक्त एरिया में स्थापित होने का प्रावधान है वर्तमान में उक्त मीट प्रतिष्ठान के पास दुकानो, एंव लोगो के आवासीय भवन पाये गये है। पुछताछ के दौरान स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि जब मीट फैक्ट्री की स्थापना हुयी थी तो आस पास आवासी भवन एंव दुकाने नही थी।
6.स्लाटर हाउस में अलग–2 प्रजातियों के पशुओं के स्लारटिंग के लिए अलग–2 स्लारटिंग हाल होने का प्रावधान है उक्त प्रतिष्ठान में केवल भैंस प्रजाति के पशु की स्लाटरिंग होती पायी गयी।

<u>उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर</u>

1.सन्दर्भित उद्योग मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली में स्थापित / संचालित है।

2.सन्दर्भित उद्योग में 600 बड़े पशुाओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सशर्त जल / वायु सहमति दिनांक 31.12.2027 तक जारी की गयी है।

क्रमशः– 03

3.सन्दर्भि उद्योग में 06 टन/घण्टा वाष्पजनन् क्षमता का ब्वॉयलर स्थापित है। ब्वॉयलर से सम्बद्ध वायु प्रदूषण नियत्रंण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर से सम्बद्ध वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित है। ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी भू–तल से लगभग 30 मीटर उंची स्थापित है। निरीक्षण के समय ब्वॉयलर संचालित नहीं पाया गया।

4.ब्वॉयलर से जनिक प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन कन्टीन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है।

5.उद्योग में प्रक्रिया स्लाटरिंग, फ्लोर वांशिग तथा रैण्ड़रिग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्कीन चैम्बर, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप, इक्वलाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड़ एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड़ फिल्टर एक्टीवेटिड़ कार्बन फिल्टर एवं स्लज डाईंग बैड्स स्थापित है।

6.उद्योग में शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणवत्ता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र के फाइनल आउटलेट पर online continuous effluent monitoring system (OCEMS) स्थापित/संचालित है,जो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है। ओ0सी0ई0एम0एस0 को डिस्पले में प्रदर्शित हो रहे प्रदूर्षित प्रचालकों के मान मानको के अनुरूप पाये गये।

7.निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्विकरण संयत्र संचालित पाया गया। उत्प्रवाह शुद्विकरण संयत्र के अंतिम बिन्दु से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालको के मान मानको के अनुरूप पाये गये। उद्योग से जनित शुद्विकृत उत्प्रवाह सिचांई में प्रयोग किया जाता पाया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है।

8.सन्दर्भित उद्योग में स्लाटरिंग प्रकिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मॉस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लाट स्थापित है।

9.उद्योग में रैण्डरिंग प्लाट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित/संचालित पाया गया।

10.निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित रैण्डरिंग प्लाट को टीन शेड आंशिक रूप से टूटा हुआ पाया गया तथा उद्योग में स्लाटरिंग एरिया में हाउस किपिंग का कार्य सुव्यवस्थित नही पाया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित आख्याओं का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण आख्याओं के क्रम में आप द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस में उपरोक्त अनुपालन कर फोटोग्राफ एवं लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, निर्धारित समयवधि में अनुपालन न किये जाने व लिखित जवाब दाखिल न किये जाने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा जानबूझकर अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी। जिसके उत्तरदायी आप स्वयं होगें।

उप जिलाधिकारी
कैराना

प्रतिलिपिः–

1.अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय शामली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2.मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3.मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामली को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
4.उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
कैराना

ANNEXURE-11

CIN : U15499DL2004PTC127119

Meem Agro Foods Pvt. Ltd.

Meem Agro Foods Pvt. Ltd. MAF

MANUFACTURER & EXPORTERS OF FROZEN BONELESS BUFFALO MEAT
APEDA APPROVED ABATTOIRS CUM MEAT PROCESSING PLANT
Unit : 993-1005, Kandhla Road, Kairana, Distt-Shamli (U.P.) INDIA
Corporate Office : 101-102, 1st Floor Model Basti, Rani Jhansi Road, New Delhi-110005
Tel. : 0091-11-23634398, 23626691,23536493, Fax : 0091-011-23623394

Ref. No. .... Date 17-011-2025

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,

कैराना, जनपद–शामली।

विषयः– नोटिस आदेश के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपके कार्यालय के पत्रांक सं० 2430/ST दिनांक 07.10.2025 के क्रम में बिन्दुवार निर्देशो की अनुपालन आख्या फोटो ग्राफ सहित निम्नवत है।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के क्रम में–

1– बिन्दु नं० 3 लेरेज के क्षतिग्रस्त टीनशेड का कार्य करा लिया गया है। (छाया प्रति संलग्नक)

2– बिन्दु नं० 4 उद्योग में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था कर दी गई है। जिससे साफ सफाई सही ढंग से होती रहे। (फोटो संलग्नक)

3– बिन्दु नं० 5 उद्योग में स्थापित रेण्डरिंग प्लांट, ETP प्लांट एवं लेरेज एरिया पर साईन बोर्ड लगा दिये गये हैं। (फोटो ग्राफ संलग्नक)

उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में–

1– निरीक्षण के समय रेण्डरिंग प्लांट में उत्पादन कार्य बन्द था, इसलिए बॉयलर उस समय संचालित नहीं था।

2– बिन्दु नं० 10– उद्योग में स्थापित रेंण्डेरिंग प्लांट के टीनशेड का आंशिक रूप से टूटा हुआ हिस्सा ठीक करा लिया गया है। तथा स्लॉटर एरिया में हाउस कीपिंग के कार्य अतिरिक्त लेबर लगाकर सफाई का कार्य करा लिया गया है। तथा सफाई कर्मियों को भविष्य में भी उचित सफाई के निर्देश दिए गये हैं। (फोटो संलग्नक)

प्रतिलिपि :- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी शामली
क्षेत्रीय अधिकारी उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड मु० नगर

हस्ताक्षर................ 17/11/25

रेण्डरिंग प्लांट साईन बोर्ड फोटोग्राफ

ETP प्लांट साईन बोर्ड फोटोग्राफ

लेरेज एरिया साइन बोर्ड फोटो ग्राफ

रेण्डेरिंग प्लाँट रिअशोड फोटो ग्राफ

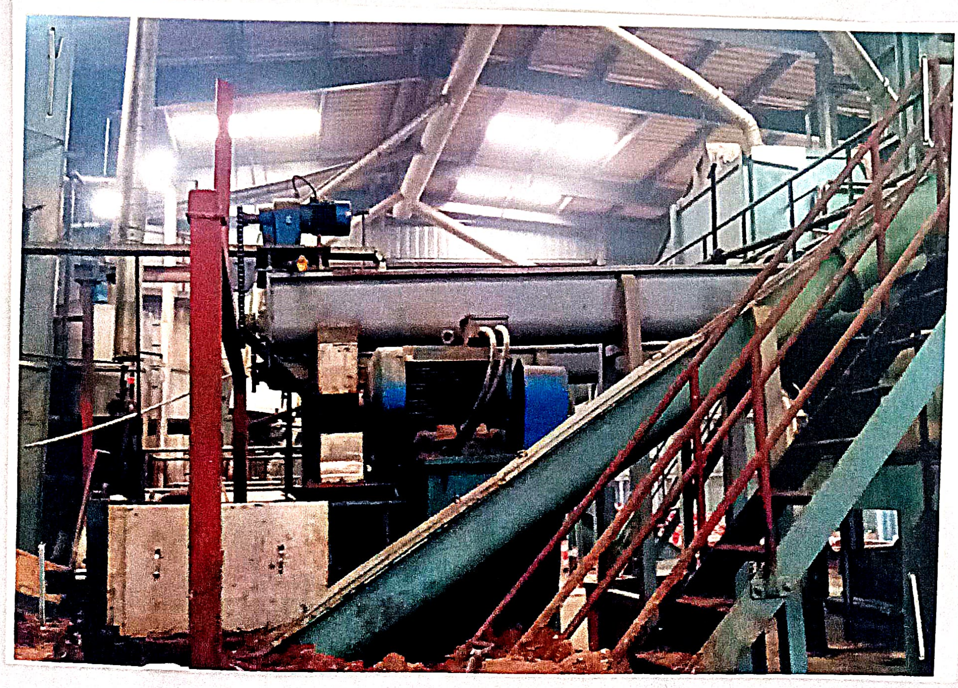

स्लाटर हाउस सफाई फोटोग्राफ

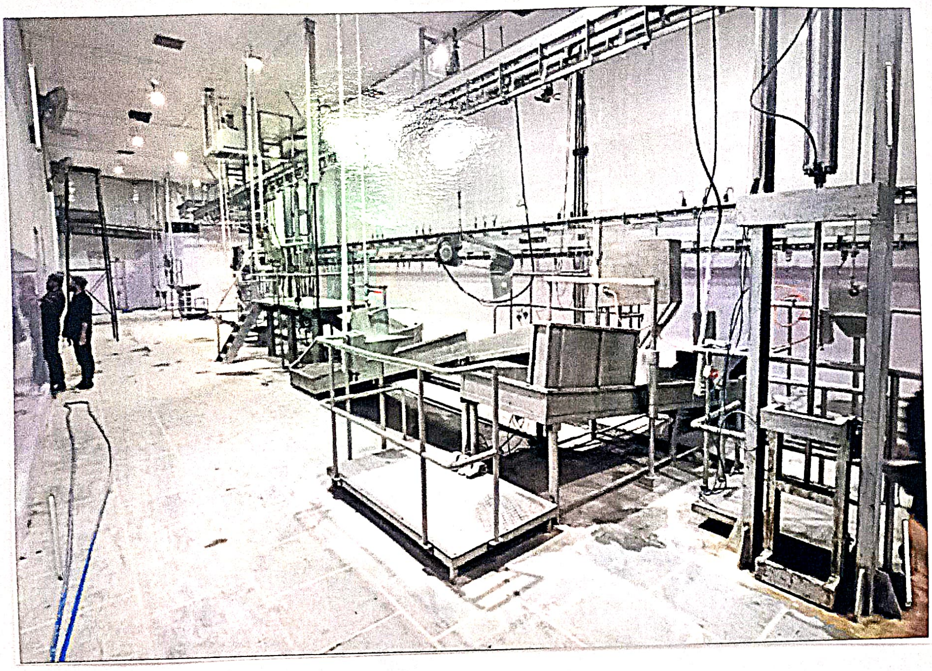

चिलर रूम की फोटोग्राफ